4/9/25

[illegible handwritten Hindi text]

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस.

उनवान

1. पुष्पा पत्नि रामसिंह आयु 50 साल
2. केशन्ती पत्नि मोहर सिंह आयु 45 साल
3. कमला पत्नि भंवरलाल आयु 55 साल
   सभी जाति मालियान निवासी स्टेडियम के पीछे नदी भद्रावती करौली

–वादीगण

बनाम

1. मायादेवी पत्नि मोहन लाल शर्मा आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी पोस्ट ऑफिस वाली गली गोमती मिशन स्कूल के पास करौली।
2. भंवर बाई पत्नि मिश्रीलाल आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी बहरदा तहसील मण्डरायल हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली।
3. शिवसिंह, हुकम सिंह, गोविन्द नाबालिग पिसरान मन्नू, सुआबाई बेवा मन्नू, सीमा, लक्ष्मी, द्रोपती सभी नाबलिग पुत्रिया मन्नू नाबालिग से माता सुआबाई निवासी स्टेडियम के पीछे करौली।
4. नगेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी बिरवास तहसील करौली कौम माली।
5. राजकुमार सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति राजपूत निवासी नदी भद्रावती करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बटवारा अन्तर्गत धारा 53, R.T ACT

मुकदमा नं. 38/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री एस पी. गर्ग, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री राजेश कुमार भारद्वाज, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। राजीनामा प्राथमिक डिक्री का जुज रहेगा। तहसीलदार, करौली को 1500/– रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 840 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवारी हल्का–8 तहसील करौली वादीगण के 1/2 हिस्से व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का 1/2 हिस्से का मुताबिक राजीनामा बंटवारा करकर बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवावें। फीस कमीशनर वादीगण व प्रतिवादीगण समान रूप से अदा करेंगे। तहसीलदार, करौली को बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी हो। तदानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.05.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकरी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस.

उनवान

1. पुष्पा पत्नि रामसिंह आयु 50 साल
2. केशन्ती पत्नि मोहर सिंह आयु 45 साल
3. कमला पत्नि भंवरलाल आयु 55 साल
   सभी जाति मालियान निवारी स्टेडियम के पीछे नदी भद्रावती करौली

–वादीगण

बनाम

1. मायादेवी पत्नि मोहन लाल शर्मा आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवारी पोस्ट ऑफिस वाली गली गोमती मिशन स्कूल के पास करौली।
2. भंवर बाई पत्नि मिश्रीलाल आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवारी बहरदा तहसील मण्डरायल हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली।
3. शिवसिंह, हुकम सिंह, गोविन्द नाबालिग पिसरान मन्नू, सुआबाई बेवा मन्नू, सीमा, लक्ष्मी, द्रोपती सभी नाबलिग पुत्रिया मन्नू नाबालिग से माता सुआबाई निवासी स्टेडियम के पीछे करौली।
4. नगेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी बिरवास तहसील करौली कौम माली।
5. राजकुमार सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति राजपूत निवासी नदी भद्रावती करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट

मुकदमा नं. 38/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री हरिहर नाथ, एडवाकेट** मिनजानि मुदई रूबरू **श्री एस पी गर्ग, एडवाकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादीग मुताबिक बंटवारा मय नक्शा अंतिम डिकी किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 840/1 रकबा 4 बीघा 7 बि ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 वादीगण के हिस्से खातेदारी में रहेगी। जिसमें वादी नंबर 1 का 1/ हिस्सा व वादी नंबर 2 का 1/3 का हिस्सा बिला रहन एवं वादी नंबर 3 का 1/3 हिस्सा राहिन केनरा बैंक शाखा करौली दर्ज रहेगा एवं खसरा नंबर 840/2 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 के हिस्से खातेदारी में रहेगे। जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 2 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 4 का 1/4 हिस्सा रहेगा प्रतिवादी नंबर 5 का 1/4 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक में अलग–अ खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में कराने का अधिकारी है। बंटवार प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय व डिक्री का रहेगा। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.09.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:35
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक				
मीजान			मीजान	

उपखण्ड अधिकारी
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना अधिकारी (RAS)

मु0न0:—38 / 22 तारीख रजु:—11.11.2022

उनवान

1. पुष्पा पत्नि रामसिंह आयु 50 साल
2. केशन्ती पत्नि मोहर सिंह आयु 45 साल
3. कमला पत्नि भंवरलाल आयु 55 साल

सभी जाति मालियान निवासी स्टेडियम के पीछे नदी भद्रावती करौली

—वादीगण

बनाम

1. मायादेवी पत्नि मोहन लाल शर्मा आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी पोस्ट ऑफिस वाली गली गोमती मिशन स्कूल के पास करौली।
2. भंवर बाई पत्नि मिश्रीलाल आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी बहरदा तहसील मण्डरायल हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली।
3. शिवसिंह, हुकम सिंह, गोविन्द नाबालिग पिसरान मन्नू, सुआबाई बेवा मन्नू, सीमा, लक्ष्मी, द्रोपती सभी नाबलिग पुत्रिया मन्नू नाबालिग से माता सुआबाई निवासी स्टेडियम के पीछे करौली।
4. नगेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी बिरवास तहसील करौली कौम माली।
5. राजकुमार सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति राजपूत निवासी नदी भद्रावती करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:35:2
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दावा बटवारा अन्तर्गत धारा 53, R .T ACT

–::निर्णय::– दिनांक :–04.09.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर 840 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर–8 तहसील करौली में स्थित है। जिसमें वादी नंबर 1 का 1/6 हिस्सा, वादी नंबर 3 का 1/6 हिस्सा है। यानि वादीगण का कुल हिस्सा 1/2 है एवं प्रतिवादी नंबर 1 का 1/16 हिस्सा है व प्रतिवादी नंबर 2 का 1/16 हिस्सा है प्रतिवादी नंबर 3 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 5 का 1/8 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। संयुक्त खातेदारी में अनबन रह रही है। बंटवारे को लेकर झगडे होने की संभावना है। दिनांक 27.09.2022 को वादीगण अपने हिस्से की भूमि में बाजरा काटने के लिये गयी तो प्रतिवादीगण ने कहा की तुमने हमारे हिस्से की जमीन में भी काश्त की है और बाजरे को नहीं ले जाने देगे और धमकी दी की आईंदा जमीन में घुसने की कोशिश मत करना वरना परिणाम भयानक हो जावेगे। इसलिए दावा बंटवारा पेश किया है। वादीगण प्रतिवादीगण से जमाबंदी के अनुसार हिस्से का बंटवारा कराकर सेफरेट खातेदारी कराने का अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है और दावा वादीगण दिनांक 19.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार, करौली से बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 18.07.2025 को प्राप्त हुआ जो दिनांक 12.08.2025 को शामिल किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष वकील को सुना गया। बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक बंटवारा मय नक्शा अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 840/1 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 वादीगण के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.11.07 10:35:22
Reason: SelfAttested

खातेदारी में रहेगी। जिसमें वादी नंबर 1 का 1/3 हिस्सा व वादी नंबर 2 का 1/3 का हिस्सा बिला रहन एवं वादी नंबर 3 का 1/3 हिस्सा राहिन केनरा बैंक शाखा करौली दर्ज रहेगा एवं खसरा नंबर 840/2 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 के हिस्से खातेदारी में रहेगे। जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 2 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 4 का 1/4 हिस्सा रहेगा व प्रतिवादी नंबर 5 का 1/4 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक में अलग–अलग खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में कराने का अधिकारी है। बंटवार प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2025.11.07 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested